रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092023-249044
CG-DL-E-29092023-249044

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 554] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2023/ आश्विन 5, 1945
No. 554] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2023/ ASVINA 5, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2023

का.आ.698(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 464 (अ), तारीख 28 जून, 2023 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिनों की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 28 जून, 2023 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 126-घ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"126-ड. भारत नई कार निर्धारण कार्यक्रम –(1) इस नियम के अधीन कार निर्धारण कार्यक्रम 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके पश्चात देश में विनिर्मित या आयातित श्रेणी एम1 के अनुमोदित प्रकार के यानों पर लागू होगा।

(2) 1 अक्टूबर 2023 से, मोटर यानों के विनिर्माता या आयातक अपने मोटर यान का परीक्षण और एआईएस:197 के अनुसार स्टार रेटिंग दिलवाने के लिए निर्धारण कराने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा अभिहित किए गए अभिहित अभिकरण को प्ररूप 70क में एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(3) स्टार रेटिंग के लिए निर्धारण के प्रयोजन के लिए मोटर यान की लागत और ऐसे निर्धारण की लागत संबंधित विनिर्माता या आयातक द्वारा वहन की जाएगी।

(4) मोटर यानों का एआईएस-197 के अनुसार निर्धारण के प्रयोजनार्थ विनिर्माता, आयातक या विनिर्माता या आयातक के अधिकृत डीलर के परिसर से अभिहित अभिकरण द्वारा यादृच्छिक रूप से चयन किया जाएगा।

(5) अभिहित अभिकरण उप-नियम (2) में चयनित यानों के निर्धारण के लिए नियम 126 में निर्दिष्ट किसी भी परीक्षण अभिकरण का चयन करेगा।

(6) विनिर्माता या आयातक चयनित यानों को उप-नियम (4) के अधीन चयनित परीक्षण अभिकरण को भेजेगा।

(7) परीक्षण अभिकरण एआईएस-197 के अनुसार यानों का मूल्यांकन करेगा और अभिहित अभिकरण को प्ररूप 70-ख में निर्धारण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(8) परीक्षण और मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुमोदन पर, अभिहित अभिकरण द्वारा अभिहित पोर्टल पर यान की स्टार रेटिंग अपलोड की जाएगी।

(9) इस नियम की कोई बात नियम 126 के अधीन छूट प्राप्त यान पर लागू नहीं होगी।"

3. उक्त नियमों के प्ररूप 69 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"प्ररूप सं. 70 क [नियम 126 ड. (1) देखें] **स्टार रेटिंग के लिए आवेदन हेतु यान के विनिर्माता या आयातक द्वारा अभिहित अभिकरण को प्रस्तुत किया जाने वाला प्ररूप**				
आवेदन पहचान पत्र	(स्वतः उत्पन्न)		**तारीख**	(स्वतः उत्पन्न)
यान चयन स्थल:				
निर्माता का परिसर / आयातक का परिसर / अधिकृत डीलर का परिसर	(विषय वस्तु)			
वाहन चयन स्थल का पता	(विषय वस्तु)			
विनिर्माता/आयातक के एम1 प्रवर्ग के सभी मॉडलों की पिछले वर्ष बिक्री की कुल मात्रा की जानकारी				
मॉडल की पिछले वर्ष की बिक्री की मात्रा के बारे में जानकारी				
प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र संख्या				
यान की कंपनी	(विषय वस्तु)			
यान मॉडल	(विषय वस्तु)			
चेसिस संख्या	(विषय वस्तु) - कृपया प्रत्येक नमूने के ब्योरे प्रदान करें			
इंजन संख्या/मोटर पहचान सं	(विषय वस्तु) - कृपया प्रत्येक नमूने के ब्योरे प्रदान करें			

प्रचलित एआईएस-007 संस्करण के अनुसार परीक्षण अभिकरण को केंद्रीय मोटर यान नियम अनुमोदित तकनीकी विशिष्टताओं विनिर्दिष्टियाँ	
उत्पादन बैच और उत्पादन की मात्रा के ब्योरे जिससे यान का चयन किया गया था।	
चयनित यानों/मॉडलों की संख्या।	
नियम 126ङ. के अधीन अभिहित अभिकरण द्वारा यान चयन की तारीख।	
(अतिरिक्त जानकारी के लिए और शीट जोड़ें, यदि कोई हो)	

मैं/हम, एआईएस-197 और इस नियम में यथा विनिर्दिष्ट मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट मोटर यान(यानों) को अभिहित अभिकरण को हस्तांतरित करने के लिए स्वेच्छा से सहमति देता हूं/ देते हैं।

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

(विनिर्माता/आयातक का पूरा नाम और पता)

विनिर्माता/आयातक/प्राधिकृत प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर

तारीख…..............................

कार्यालय पृष्ठांकन
संदर्भ संख्या...कार्यालय ……………………...
……………...

"प्ररूप सं. 70 ख
[नियम 126 ड़(6) देखें]
अभिहित अभिकरण को परीक्षण अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली निर्धारण रिपोर्ट का प्ररूप

आवेदन पहचान पत्र	(स्वतः उत्पन्न)		**तारीख**	(स्वतः उत्पन्न)
प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र संख्या				
निर्धारण करने वाले परीक्षण अभिकरण का नाम और पता				
यान की कंपनी				
यान मॉडल				
चेसिस संख्या				

इंजन संख्या /मोटर पहचान सं	
यान चयन की तारीख	
परीक्षण अभिकरण द्वारा चयनित यान की प्राप्ति की तारीख	
स्थल का पता जहां परीक्षण किया गया था	
निर्धारण के लिए सुसंगत मानी जाने वाली विनिर्दिष्ट रिपोर्टें/संलग्नक।	
निष्कर्ष	
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/हस्ताक्षरकर्ताओं का नाम, हस्ताक्षर।	
(अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, के लिए और शीट जोड़ें) -	

के द्वारा सत्यापित नाम : पदनाम :	के द्वारा अनुमोदित नाम : पदनाम :

कार्यालय पृष्ठांकन

संदर्भ संख्या.. .कार्यालय...।"

[फा.सं. आरटी -11036/78/2022-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 663(अ), तारीख 12 सितंबर, 2023 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2023

S.O. 698(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act,1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R 464 (E), dated the 28th June 2023 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 28th June, 2023;

And whereas objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Sixth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as the said rules), after rule 126D, the following rule shall be inserted, namely:-

"126E. Bharat new car assessment programme.- (1)The car assessment programme under this rule shall be applicable on the type approved vehicles of category M1, manufactured or imported in the country on or after the 1st day of October, 2023.

(2) On and from the 1st day of October 2023, the manufacturer or importer of motor vehicles shall submit an application in FORM 70A, to the designated agency, designated by the Central Government to get their motor vehicle examined and assessed for star rating in accordance with AIS:197.

(3) The cost of the motor vehicle for the purpose of assessment for star rating and the cost of such assessment shall be borne by the respective manufacturer or importer.

(4) The motor vehicles for the purpose of assessment shall be randomly selected by the designated agency, from the premises of the manufacturer, importer, or authorised dealer of the manufacturer or importer, in accordance with AIS-197.

(5) The designated agency shall select any of the testing agency, referred to in rule 126, for the assessment of the vehicles selected in sub-rule (2).

(6) The manufacturer or importer shall send the selected vehicles to the testing agency selected under sub-rule(4).

(7) The testing agency shall evaluate the vehicles in accordance with AIS-197 and submit the assessment report to the designated agency in FORM 70B.

(8) On examination and approval of the assessment report, the star rating of the vehicle shall be uploaded on the designated portal by the designated agency:

(9) Nothing in this rule shall apply to a vehicle exempted under rule 126.".

3. After FORM 69 of the said rules, the following forms shall be inserted, namely: -

"**FORM 70 A**

[see rule 126 E (1)]

Form for application for star rating to be submitted by the manufacturer or importer of the vehicle to the designated agency

Application ID	(Autogenerate)		**Date**	(Autogenerate)
Site of Vehicle Selection:				
Manufacturer's premises / Importer's premises / Authorised dealer's premises	(text box)			
Address of vehicle selection site	(text box)			
Information about last year's total sales volume of all the models of M1 category of the manufacturer/ importer				
Information about last year's sales volume of the model				
Type approval Certificate No.				
Vehicle Make	(text box)			
Vehicle Model	(text box)			
Chassis No.	(text box) – Please provide details of each sample			
Engine No./ Motor Identification No.	(text box) – Please provide details of each sample			
Central Motor Vehicles Rules				

approved Technical specifications to the testing agency as per prevalent AIS-007 version.	
Details of production batch and production volume from which vehicle selection was done.	
No of vehicles/models selected.	
Date of vehicle selected by the designated agency under rule 126E.	
(Add more sheets for additional information, if any)	

I/We, wilfully consent to transfer of the motor vehicle(s) specified above to the designated agency for the purpose of evaluation as specified in AIS-197 and this rule.

……………………………..…….
………………………………………..
……………………………………......

(Full Name and address of the Manufacturer/importer) Signature of the
Date…............................. Manufacturer/Importer/Authorised representative

OFFICE ENDORSEMENT
Ref. Number…...Office of the……………………….........................

FORM NO. 70 B
[see rule 126E(6)]
Form for assessment report to be submitted by the testing agency to the designated agency

Application ID	(Autogenerate)		**Date**	(Autogenerate)
Type approval Certificate No.				
Name and address of testing agency conducting assessment				
Vehicle Make				
Vehicle Model				
Chassis No.				
Engine No./ Motor identification number				
Date of vehicle selected				
Date of receipt of the selected vehicle by testing agency				
Address of Site where testing was carried out				
Specific reports / enclosures considered relevant for assessment.				
Conclusions				
Name, signature of authorised signatory/ signatories.				

(Add more sheets for additional information, if any) -

Verified By Name : Designation :	Approved By Name : Designation :

OFFICE ENDORSEMENT

Ref. Number..Office of the……………………..............................’’.

[F. No. RT-11036/78/2022-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended, *vide* notification number G.S.R. 663(E), dated the 12th September, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.09.29 12:35:42 +05'30'